

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	श्रावण 10, शुक्रवार, शके 1947- अगस्त 01, 2025 <i>Sravana 10, Friday, Saka 1947- August 01, 2025</i>	

भाग 6 (ख)

जिला बोर्डों, परिषदों एवं नगर आयोजना संबंधी, विज्ञप्तियां आदि

नगर नियोजन विभाग,

कार्यालय मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर

अधिसूचना

जयपुर, जुलाई 25, 2025

संख्या टीपीआर: 1115/एमपी/सूरतगढ़/पार्ट-00179 :-सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 की धारा 5 की उपधारा (1) एवं राजस्थान नगर सुधार न्यास (साधारण) नियम, 1962 के नियम 3 के अन्तर्गत सूरतगढ़ के नगरीय क्षेत्र का मास्टर प्लान-2047 का प्रारूप तैयार कर आम जनता से आपत्ति/सुझाव आमंत्रित करने हेतु प्रकाशित किया जा रहा है। इस प्रारूप मास्टर प्लान के नगरीय क्षेत्र में निम्नलिखित राजस्व ग्राम/चक अधिसूचित हैं:-

क्रमांक	गांव के नाम (हिंदी में)	S.NO.	Village name (in English)
1	कस्बा सूरतगढ़	1	KASBA - SURATGARH
2	बीड सूरतगढ़	2	BIHAD - SURATGARH
3	मानकसर	3	MANAKSAR
4	अमरपुरा - जाटान	4	AMARPURA-JATAN
5	38 पी बी एन	5	38 P B N
6	36 पी बी एन	6	36 P B N
7	34 पी बी एन -ए	7	34 P B N - A
8	34 पी बी एन -बी	8	34 P B N - B
9	37 पी बी एन	9	37 P B N
10	35 पी बी एन	10	35 P B N
11	33 पी बी एन	11	33 P B N
12	4 आर पी एम	12	4 R P M
13	45 एस टी जी	13	45 S T G
14	44 एस टी जी	14	44 S T G
15	रंगमहल	15	RANGMAHAL
16	किशनपुरा (पार्ट)	16	KISHANPURA (Part)
17	टीलावाली	17	TILAWALI

सूरतगढ़ मास्टर प्लान-2047 (प्रारूप) के सम्बन्ध में राजस्थान राजपत्र में प्रकाशित तिथि से 30 दिवस में किसी भी व्यक्ति/संस्था/विभाग द्वारा अपनी आपत्ति/सुझाव मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान/ अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (पश्चिम), राजस्थान, जयपुर, नगर नियोजन भवन, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, राजस्थान, जयपुर-302004, वरिष्ठ नगर नियोजक, बीकानेर, जोन, बीकानेर अथवा कार्यालय नगर पालिका, सूरतगढ़ को प्रस्तुत कर सकते हैं। मास्टर प्लान के प्रारूप का दिनांक 30.07.2025 से दिनांक 28.08.2025 तक उपरोक्त समयावधि में प्रदर्शनी स्थल सभागार, कार्यालय नगर पालिका, सूरतगढ़ में अवलोकन किया जा सकता है। उपरोक्त अवधि में मास्टर प्लान के इस प्रारूप से संबंधित पुस्तिका मय मानचित्र कार्यालय नगर पालिका, सूरतगढ़ से क्रय किये जा सकते हैं एवं नगर नियोजन विभाग की वेबसाइट <https://urban.rajasthan.gov.in> से भी डाउनलोड किये जा सकते हैं।

अनुजा सिंह,
अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (पश्चिम)
राजस्थान, जयपुर।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।